न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—3 / 2023 (2023 / 116) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मोहरदेवी पत्नि बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह बड़वा निवासी झड़ोल तह.रायपुर जिला भीलवाडा
प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर — प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 14.06.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया व अन्य सहखातेदारान के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की नवीन आराजी संख्या 1229 रकबा 0.03 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 2363 रकबा 0.91 है0, आराजी संख्या 1212 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1684 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 1835 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 916 रकबा 0. 45 है0, आराजी संख्या 1209 रकबा 0.03 है0गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1828 रकबा 0.22 है0 भूमियां फर्दन—फर्दन खातो में स्थित होकर उसमें प्रार्थीया के नाम मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह व मोरदेवी पत्नि बाबूलाल बड़वा सा.देह के नाम अलग—अलग हिस्से से दर्ज है। उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थीया व उसके पुत्रों के बजाय प्रार्थीया के पतिबाबमसिंह उर्फ बाबूलाल पुत्र भोपालसिंह बड़वा के नाम दर्ज थी। उसकी मुत्यु हो जाने से प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई। नामान्तकरण में मोहरदेवी के बजाय मोरदेवी गलत रूप से अंकन कर दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीया के नाम समस्त दस्तावेजाज आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा ही दर्ज है किन्तु वर्णित भूमियों में राजस्व रेकार्ड में टंकणीय व लिपिकीय त्रुटी से मोहरदेवी के बजाय गलत रूप से मोरदेवी अंकित कर दिया जो गलत है इसे दुरूस्त किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया इसके अभाव में उक्त भूमियों पर बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रही है। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम झड़ोल की उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीया का नाम मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह व मोरदेवी पत्नि बाबूलाल बड़वा के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंहबड़वा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावे। त[illegible]की जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रक[illegible] दर्ज [illegible]जिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया जिसकी पा[illegible] रायपुर द्वारा मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रि[illegible] में अंकन किया कि [illegible] झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल के खाता संख्या 30 में खातेदार मोरदेवी पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/3 बड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर–3/2023 (2023/116) प्रार्थना पत्र

दर्ज रेकॉड है जिसके आराजी संख्या 1212 रकबा 0.11 है0, 1684 रकबा 0.06 है0, 1835 रकबा 0.07 है0, 916 रकबा 0.45 है0 किता 4 रकबा 0.69 है0 एवं खाता संख्या 150 में आ.स. 1229 रकबा 0.03 है0 सह खातेदारी के रूप में दर्ज एवं खाता संख्या 374 में आराजी संख्या 2363 रकबा 0.91 है0 में मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह हिस्सा 79/210 बड़वा सहखातेदारी रूप से एवं आराजी संख्या 1209 रकबा 0.03 है0 मे मोरदेवी पत्नि बाबूलाल जाट सा.देह सहखातेदारी रूप से एवं खाता संख्या 734 में आराजी संख्या 1828 रकबा 0.22 है0में खातेदार मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह 1/30 बड़वा सा. सहखातेदारी रूप से भूमिया दर्ज रेकार्ड है उक्त खातो में नामान्तकरण से मोरदेवी पत्नि बाबूलाल एवं मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह के बजाय मोहरदेचवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का करवाना तथा ग्राम झड़ोल के खाता संख्या 390 आ.स. 1209 रकबा 0.03 है0 में वादीया की जाति जाट दर्ज है के बजाय बड़वा दर्ज करवाना भी चाहती है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक व नवीन राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीया का नाम रेकार्ड अनुसार मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा के नाम से है तथा प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह व मोरदेवी पत्नि बाबूलाल बड़वा के नाम दर्ज हो रखा है जो एक लिपिकीय त्रुटी है। जो नाम अन्य रेकार्ड में दर्ज उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज होना चाहिए जो नही होने से प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का झड़ोल के ग्राम झड़ोल के राजस्व खाता संख्या 30, 150, में मोरदेवी पत्नि बाबूलाल के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम व खाता संख्या 374 मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम एवं खाता संख्या 390 में मोरदेवी पत्नि बाबूलाल जाट के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर—3/2023 (2023/116) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मोहरदेवी पत्नि बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह बड़वा निवासी झड़ोल तह.रायपुर जिला भीलवाडा प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा इन्द्राज दुरस्ती बाबत्

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पटवार हल्का झड़ोल के ग्राम झड़ोल के राजस्व खाता संख्या 30, 150, में मोरदेवी पत्नि बाबूलाल के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम व खाता संख्या 374 मोरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम एवं खाता संख्या 390 में मोरदेवी पत्नि बाबूलाल जाट के बजाय मोहरदेवी पत्नि बाबूसिंह बड़वा का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार संशोधित किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Neha Chhipa
Date: 2023.07.27 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested